रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1593] नई दिल्ली, सोमवार, जून 27, 2016/आषाढ़ 6, 1938
No. 1593] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 27, 2016/ASHADHA 6, 1938

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2016

का.आ. 2214(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 219 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा 27 जून, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख से उक्त अधिनियम के अध्याय XII के भाग I के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. 12/1/2016-एफएसएलआरसी(i)]

डॉ. शशांक सक्सेना, सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2016

S.O. 2214(E).— In exercise of the powers conferred by section 219 of the Finance Act, 2016 (28 of 2016), the Central Government hereby appoints the 27th day of June, 2016, as the date on which the provisions of Part I of Chapter XII of the said Act shall come into force.

[F. No.12/1/2016-FSLRC(i)]

Dr. SHASHANK SAKSENA, Adviser

3208 GI/2016

Uploaded by the Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 443] नई दिल्ली, सोमवार, जून 27, 2016/आषाढ़ 6, 1938
No. 443] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 27, 2016/ASHADHA 6, 1938

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2016

सा.का.नि. 633(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45यग की उप-धारा (3) और धारा 45यघ की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात,-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -**

(1) इन नियमों का नाम मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया तथा उनकी नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें नियमावली, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं –**

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "अधिनियम" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) अभिप्रेत है।

(ख) "अध्यक्ष" से खोज-सह-चयन समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

(ग) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 45यग की उप-धारा (2) के खंड (घ) में उल्लिखित खोज-सह-चयन समिति का सदस्य अभिप्रेत है।

(घ) "मौद्रिक नीति समिति का सदस्य" से अधिनियम की धारा 45यख की उप-धारा (2) के खंड (घ) में उल्लिखित मौद्रिक नीति समिति का सदस्य अभिप्रेत है।

(ङ) "खोज-सह-चयन समिति" से अधिनियम की धारा 45यग की उप-धारा (2) में उल्लिखित खोज-सह-चयन समिति अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों, जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, का अभिप्राय अधिनियम के अंतर्गत उन्हें क्रमानुसार दिए गए अर्थ से है।

3. मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया –

(1) खोज-सह-चयन समिति केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वली प्रक्रिया का पालन करेगी।

(2) उप-नियम (1) में उल्लिखित प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और कार्यक्षम होगी।

(3) खोज-सह-चयन समिति प्रत्येक रिक्ति के लिए अधिक से अधिक तीन व्यक्तियों को नामित कर सकती है।

4. खोज-सह-चयन समिति के लिए विशेषज्ञों का नामांकन

(1) केंद्रीय सरकार अर्थशास्त्र, अथवा बैंकिंग अथवा वित्त अथ्वा मौद्रिक नीति के क्षेत्र से स्वतंत्र विशेषज्ञों, जो सदस्यों के रूप में सेवा करने के लिए उपलब्ध हों, की सूची बनाकर रखेगी।

(2) केंद्रीय सरकार खोज-सह-चयन समिति का गठन करने के लिए उप-नियम (1) के अंतर्गत बनाई गई सूची से सदस्यों का चयन करेगी।

स्पष्टीकरण- यह उप-नियम (1) के प्रयोजनार्थ, "स्वतंत्र" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार या बैंक का कोई कर्मचारी नहीं है।

5. मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें

(1) धारा 45यख की उप-धारा (2) के खंड घ के अंतर्गत नियुक्त मौद्रिक नीति समिति का कोई भी सदस्य, अपनी सदस्यता की अवधि के दौरान, ऐसे कोई वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त नहीं करेगा जिसके कारण ऐसे सदस्य के रूप में उनके कार्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(2) उप-नियम (1) में उल्लिखित मौद्रिक नीति समिति के सदस्य अंशकालिक सदस्य होंगे।

[फा. सं. 12/1/2016-एफएसएलआरसी(iii)]

डॉ. शशांक सक्सेना, सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2016

G.S.R. 633(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 45ZC and sub-section (2) of section 45ZD of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules, namely:–

1. **Short title and commencement**.– (1) These rules may be called the Procedure for Selection of Members of Monetary Policy Committee and Terms and Conditions of their Appointment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**.– (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Search-cum-Selection Committee;

(c) "member" means a member of the Search-cum-Selection Committee referred to in clause (d) of sub-section (2) of section 45ZC of the Act;

(d) "Member of the Monetary Policy Committee" means a Member of the Monetary Policy Committee referred to in clause (d) of sub-section (2) of section 45ZB of the Act;

(e) "Search-cum-Selection Committee" means the Search-cum-Selection Committee referred to in sub-section (2) of section 45ZC of the Act.

(2) All other words and expressions used in these rules and not defined herein shall have the same meaning respectively assigned to them under the Act.

3. **Procedure for selection of Members of Monetary Policy Committee**.- (1) The Search-cum-Selection Committee shall follow such procedure as may be determined by the Central Government from time to time.

(2) The procedure referred to in sub-rule (1) shall be fair, transparent and efficient.

(3) The Search-cum-Selection Committee may recommend up to three persons for every vacancy.

4. **Nomination of experts for Search-cum-Selection Committee**.- (1) The Central Government shall maintain a list of independent experts from the field of economics or banking or finance or Monetary Policy, who are eligible to serve as members.

(2) The Central Government shall select the members from the list maintained under sub-rule (1) for constituting the Search-cum-Selection Committee.

Explanation.- For the purpose of sub-rule (1), the term "independent" shall mean a person who is not an employee of the Central Government or the Bank.

5. **Terms and conditions of appointment of Members of Monetary Policy Committee**. – (1) No Member of the Monetary Policy Committee appointed under clause (d) of sub-section (2) of section 45ZB shall, during the term of his membership, have any financial or other interests as are likely to prejudicially affect his functions as such Member.

(2) A Member of the Monetary Policy Committee referred to in sub-rule (1) shall be a part-time Member.

[F. No. 12/1/2016-FSLRC(iii)]

Dr. SHASHANK SAKSENA, Adviser

Uploaded by the Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1594] नई दिल्ली, सोमवार, जून 27, 2016/आषाढ़ 6, 1938
No. 1594] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 27, 2016/ASHADHA 6, 1938

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2016

का.आ. 2215(अ).— भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45यढ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित को मुद्रास्फीति संबंधी लक्ष्य हासिल करने में असफलता के कारणों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

क. औसत मुद्रास्फीति किन्हीं तीन लगातार तिमाहियों तक उक्त अधिनियम की धारा 45यक के अंतर्गत अधिसूचित मुद्रास्फीति के ऊपरी सह्यता सीमा स्तर से अधिक है; अथवा

ख. औसत मुद्रास्फीति किन्हीं तीन लगातार तिमाहियों तक उक्त अधिनियम की धारा 45यक के अंतर्गत अधिसूचित मुद्रास्फीति के निचली सह्यता सीमा स्तर से कम है।

[फा.सं. 12/1/2016-एफएसएलआरसी(ii)]

डॉ. शशांक सक्सेना, सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2016

S.O. 2215(E).—In exercise of the powers conferred by section 45ZN of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies the following as factors that constitute failure to achieve the inflation target, namely:—

(a) the average inflation is more than the upper tolerance level of the inflation target notified under section 45ZA of the said Act for any three consecutive quarters; or

(b) the average inflation is less than the lower tolerance level of the inflation target notified under section 45ZA of the said Act for any three consecutive quarters.

[F. No.12/1/2016-FSLRC(ii)]

Dr. SHASHANK SAKSENA, Adviser

Uploaded by the Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.